MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII SUBJECT CODE : 598

Q. NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	President	1
2	Merit	1
3	President	1
4	Chandigarh	1
5	5 Years	1
6	Prime Minister	1
7	Head of the concerned department	1
8	Rajasthan	1
9	1990	1
10	65 Years	1
11	Hyderabad	1
12	Board of Directors	1
13	1853 AD	1
14	Three	1
15	Principle of Ability Promotion is a curiosity in which advancement is automatically achieved.	1
16	Federal government system	1
17	Finance Ministry	1
18	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
19	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
20	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
21	Political executive is called such executive which is appointed for some time by election or other means.	2
22	Union, which is called Federation or Federal in English, is actually derived from the Latin word 'fodes', which means treaty or agreement. Hence, the federal government is a permanent organization of some states which is established on the basis of an agreement. When two or more independent states organize a central government to fulfill some common objectives and fulfill the remaining objectives themselves, a federal government is established.	2
23	The Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President in consultation with other judges of the Supreme Court and such judges of the High Court as he considers appropriate.	2
24	1. Departments are directly accountable to the Chief Executive. 2. Generally, department is the largest and highest unit of the administrative hierarchy.	2
25	1. Due to providing more financial freedom to the public corporation than necessary,	2

Downloaded from cclchapter.com

	sometimes there is a possibility of misuse of funds. 2. The management system and offices of the public corporation are not in public contact, direct relation with the public is not established. Nor are they able to get public feedback directly, hence they cannot be considered democratic.	
26	1.The employee is given a higher position than his current position. 2. Responsibility of the employee increases.	2
27	Recruitment is a comprehensive activity, by which qualified employees are organized in public administration, they are selected and by appointing them to the posts, the goals set in the administration are achieved. Attracting the attention of suitable candidates to fill the vacant posts. Recruitment does not mean selection, rather, selection is a part of the recruitment process.	2
28	When vacant posts are filled from among the employees or officers working in the service, it is called recruitment done through indirect or promotion.	2
29	**Function and Objective**:- This has been the traditional and popular basis of departmental organization, according to this, the organization of the department should be on the basis of the objective by which it is inspired. **Process:-** On this basis, the organization of the department is done keeping in mind the specific professional services. On the basis of the process, the employees of the respective departments are experts who have the ability to work in a specific field.	2
30	**Organization:-** The appointment of members of the Union Public Service Commission and the members of the Joint Public Service Commission is done by the President. At present the number of members of the Union Public Service Commission is 11 including the Chairman. The number of members of the Joint Public Service Commission is The determination is made by law made by the President. Half of the members are required to have administrative experience of at least 10 years in a service under the Government of India or a State Government. This has been done so that the Commission is a special Can function as an organization.	4
31	**Appointment:** - In India, the Comptroller and Auditor General is appointed by the President of India. **Removal:** - The Comptroller and Auditor General can be removed from his post on two grounds like the Supreme Court judgments: - 1 Proven misbehavior 2 Ineligibility On these above grounds, a proposal It should be presented in both the Houses of Parliament in the same session and it is necessary for the House to pass the proposal by a special majority. Because the process of presenting the proposal, inspection and proof of misbehavior and the process of disqualification is decided by the Parliament. Hence the resignation. That process seems extremely complicated.	4
32	Financial administration includes all those functions of public administration, the aim of which is to collect money for the functioning of the government and to spend this money smoothly as per the law. It is the responsibility of financial administration to He should keep in mind that the tax burden on the public should be as much as is necessary, that is, unnecessary tax burden should not be imposed on him. Along with this, the public's hard earned money should be spent in such a way that not even a single penny is wasted. In financial management, Mr. White has identified the executive which requires the funds, the legislature which approves these funds, the offices of the executive which control the funds, and the office of the public official who determines the propriety and legality of the use of the funds. Therefore, financial administration includes all those functions of the government which are related to	4

Downloaded from cclchapter.com

	collecting public money, spending, making budget, keeping accounts of income and expenditure, transactions of the government and capital and liabilities. This is done by keeping the details of the expenditure and preparing its complete report. Financial administration works to suggest the government to make appropriate cuts in the government expenditure, so that the government does not face any administrative problem from the financial point of view.	
33	1.If any dispute arises between the Center and more than one state, it is decided by the Supreme Court. 2. If there is a dispute on any matter between some states, it is also decided by the Supreme Court. 3. If the government violates or attempts to take away the fundamental rights of any citizen or citizens, the citizen can bring such a case directly to the Supreme Court. 4. If any dispute arises regarding the election of the President or Vice President, it is also settled by the Supreme Court	4
34	**In India, the methods which are used in practice by the Parliament to control the Public Corporation are as follows:-** 1. By asking questions. 2. By demanding a half-hour debate regarding the corporation . 3. By establishing the corporation By amending the law . 4. By debating the reports of the corporation. 5. By intervening in relation to the corporation at the time when they need money and which they cannot get without the approval of the Parliament. 6. Related to any public corporations By presenting proposals on matters and debating on them . 7. By debating the annual reports of the corporation.	4
35	1. **Supremacy of the Constitution**: - Like other federal constitutions, the Constitution of India is the supreme law of the country. No government or institution or person in India is above the Constitution. The source of power of all its institutions is the federal government and the state governments, according to it. Will run my rule 2. **Division of powers**:- Like other federal constitutions, the Indian Constitution has divided powers between the Union and the States in three lists. 3. **Written and rigid constitution**:- Another characteristic of the federal government in the Indian Constitution is that the constitution is written and rigid. 4 **Dual Governance**:- There is a system of dual governance in federal states. In India too, both the federal government and the provincial governments are products of the Constitution.	4
36	**Emergency powers of the President of India: -** **(1) Emergency arising out of war or external aggression or 'armed rebellion' -** According to Article 352, if the security of India or any part of its territory is in danger due to war or external aggression or armed rebellion. If so, then in such a situation the President can declare emergency. The President has the right to withdraw this announcement made by him at any time. But if the Lok Sabha is dissolved at the time of this declaration of emergency or within two months thereafter, then that emergency period will end 30 days after the meeting of the new House. It can continue till the end of the year, if the Rajya Sabha accepts it within the stipulated period of two months. 30 days after the commencement of the meeting of the Lok Sabha, the emergency period can continue only if the Lok Sabha accepts it.	6

Downloaded from cclchapter.com

	(2) Emergency arising due to failure of constitutional machinery in the states - According to Article 356, if the President, on the report of the Governor, Or if he is satisfied in any other way that such circumstances have arisen that the governance of a State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, then he can declare a period of emergency. , There was a provision in the Constitution that President's rule could be imposed in the state by the Parliament for a period of 6 months at a time. At present, the special provision is that emergency can be continued for a period of more than 1 year only unless a certificate is obtained from the Election Commission regarding the existence of the above mentioned situation. **(3) Financial or economic emergency –** . According to the constitution Article 360 if the President believes that such a situation has arisen in the country due to which the financial stability or credit of the nation is in danger, then he can declare a financial crisis. Or **The President has the following legislative powers: -** **The President is a part of the Parliament:** - The Indian Parliament consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. **Convening and adjourning the session of the Parliament:** - The President can convene the sessions of both the houses of the Parliament at the same time. Or can convene at different times and can extend and adjourn it. **Addressing the Parliament:** - The first session of the Parliament and the first session of the year starts with the President's address, in which he throws light on the policies and needs of the government. **Nominating some members of Parliament:-** The President nominates 12 members to the Rajya Sabha who have achieved fame in the fields of literature, science, art and social service. **Dissolution of the Lok Sabha:** - The President can dissolve the Lok Sabha before the completion of its term and call for re-election with the advice of the Cabinet. Approval of the Bills: - If the President wants, instead of giving his assent to the bill passed by the Parliament, it can be approved by the Parliament. Can send for reconsideration, but if the Parliament reconsiders and passes that bill again in the original form, then the President has to give assent. **Prior approval of the President for presenting some bills in the Parliament:** - Some bills in the Parliament Bills cannot be introduced without the prior approval of the President, for example, bills creating new states, changing the names of states. **Issuance of Ordinance:** - Under Article 123, the President can issue an ordinance. This ordinance comes into force like law. When approved by the Parliament, it takes the form of law.	
37	**The defects of Panchayati Raj can be removed by the following measures –** **Spread of education:** - To make local institutions successful, it is necessary for people to be educated so that they are aware of their duties and rights. **Training of members:** - Panchayati Raj institutions. There should be a complete system of training of the members of Panchayati Raj so that they can perform their tasks properly and take appropriate decisions. **Activating the Gram Sabha:-** To make the Panchayati Raj successful, the meetings of the Gram Sabha should be held regularly and the citizens of the village should be informed. Government should take interest in its activities. **Reduction in government interference**: - Local institutions can be successful only	6

Downloaded from cclchapter.com

	when the government gives more freedom to these institutions and makes arrangements for their performance. **More support of funds**: - Government introduces new schemes for these institutions. Make and give them a fair amount of money. **Regular elections**: - Elections of Panchayati Raj institutions should be held regularly after a fixed period, under the supervision of the Election Commission. Panchayati Raj institutions should be given more powers: - Panchayati Raj institutions should get more responsibilities and powers. Panchayati Raj institutions should be given more powers. **Positive relations among the institutions of government**:- Generally, there should be good and cordial relations instead of conflict between the three level institutions of Panchayati Raj. There should be goodwill among themselves. **Skilled and honest employees:-** Employees of local self-government institutions are appointed on the basis of merit. It should be based on this and it is also necessary to pay attention to the training of these employees. Or **Main features of the 73rd Amendment Act: -** **1. Constitutional recognition to Panchayati Raj institutions:** - Before the passing of the constitutional amendment in 73, local self-government institutions were not recognized by the Constitution. Through this amendment, a new part, a new schedule was included and part All the articles mentioned in Article 9 and the 11th Schedule describe the subjects in respect of which powers can be handed over to the Panchayati. **2. Three-tier Panchayati Raj System:** - Article 243 (b) The three-tier Panchayati Raj system makes every In the state, Gram Panchayat has been formed at the lower level, Panchayat Samiti at the intermediate level and Zilla Parishad at the top level. **3. Direct election of members**: - Under the new system of Panchayati Raj, the Panchayat area will be divided into different constituencies. And the Panchayat members from these constituencies will be directly elected by the people. **4. Reservation of seats**: - In the new Panchayati system, arrangements have been made to reserve seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in various Panchayats. **5 Tenure of Panchayats**: - The tenure of Panchayati Raj institutions will be 5 years. The tenure will start from the date of the first meeting of the Panchayat. **6. Functions of the Panchayat**: - A total of 29 subjects have been kept in the 11th schedule of the Constitution, on which the Panchayat can make laws. Can perform those functions. **7. State Election Commission**: - By this amendment, arrangements have been made for the appointment of the State Election Commission. Their appointment will be made by the Governor of the state. **8. Establishment of Finance Commission**: - It has been made in this That within one year of the coming into force of this amendment the State or the Governor shall appoint a Finance Commission.	
38	**There are many types of problems related to the training of public servants which are as follows**: - **Improper evaluation of training programs**: - While making proper evaluation of the training program, the trainer should analyze keeping in mind the objectives of the program. Because the curriculum in the organization is The quantity, number of	6

Downloaded from cclchapter.com

certificates and number of trained members have no importance in themselves.
Non-cooperation of the legislature: - The legislatures adopt a non-cooperative attitude towards the training program, either they do not prepare the draft and even if they do, they Lately.
Indifference of high level administrators:- There are some high level administrators who do not pay any attention towards training and consider it as a useless thing and they will also pressurize other people present in the organization to support their opinion.
Lack of proper coordination: - An important problem of training is that there is no proper coordination between the work and training work of public servants.
Excessive work load: - The work load on the employees is high and it is very difficult for them to find time for training. It is difficult. No other employee does the work to be done during the training.
Lack of funds: - It is also seen that many times the government lacks funds to conduct the training works. Due to which the actual implementation of the training gets hampered. Objectives are destroyed.
Problem of determining the curriculum for in-service training:- The problem of determining the curriculum for in-service training is also a very serious problem.

Or

Formal and Informal Training:- Formal training is done under the guidance of an expert. It also includes realistically prepared study curriculum and lectures, seminars, workshops, group discussions, conference work, projects etc.
Short term and long term training:- These two types of training are divided on the basis of duration of training. The duration of training depends on the subject matter of the training course, the nature of the service and the requirements of the government. If the course is for a few weeks or months then This would be called short-term training compared to long-term training that lasts several months, even years..
Pre-entry, in-service and post-entry training: - If training is given to an employee or officer before joining a service or job, then it is called pre-entry training. Training involves preparing newly recruited employees for services. Post-Entry Training Training is given after entering the service. This training makes the employee more professionally competent and qualified.
Central and departmental training: - When an employee Training is provided by a specific department to increase the work efficiency of its employees, keeping in mind its specific goals, then it is called departmental training. Its main focus is to fulfill the goals of the department, but sometimes the central Training is provided to officers of many departments by the training agency which is called central training.
Work skills and background training:- The purpose of background training is to broaden the mindset and knowledge of the employees and to provide the employees with knowledge of the social, economic, political and administrative background of the country, but when its purpose is to prepare the employees for a specific job. If the condition has to be improved, then it is called efficiency training, in which knowledge of special skills, techniques etc. is provided.
Orientation training: - In this, new entrants should know about the functions of their organization, its methods, rules. Under this Efforts are made to adapt the employees to their organization and its work practices.

Downloaded from cclchapter.com

MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII SUBJECT CODE : 598

Q. NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	राष्ट्रपति	1
2	योग्यता	1
3	राष्ट्रपति	1
4	चंडीगढ़	1
5	5 वर्ष	1
6	प्रधानमंत्री	1
7	संबंधित विभाग प्रमुख को	1
8	राजस्थान	1
9	1990	1
10	65 वर्ष	1
11	हैदराबाद	1
12	निदेशक मंडल	1
13	1853 ई0	1
14	तीन स्तर	1
15	पदोन्नति एक ऐसी जिज्ञासा है जिसमें आगे बढने की स्वत: उपलब्धि सुलभ होती है ।	1
16	संघात्मक शासन प्रणाली	1
17	वित् मंत्रालय	1
18	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है।	1
19	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है।	1
20	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है।	1
21	राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहा जाता है जो कुछ समय के लिए चुनाव अथवा अन्य साधन द्वारा नियुक्त की जाती है ।	2
22	संघ जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन अथवा फेडरल कहा जाता है , वास्तव में लैटिन भाषा के फोड्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता । अत: संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है । जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं करते हैं तो एक संघात्मक सरकार की स्थापना होती है ।	2
23	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के उन न्यायधीशों, जिन्हें वह उचित समझता है कि सलाह से करता है ।	2
24	1. विभाग मुख्य कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी होते हैं । 2. सामान्यत: विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है ।	1 1
25	1. लोक निगम को आवश्यकता से अधिक वितीय स्वतन्त्रता प्रदान करने के कारण कभी कभी धन के दुरूपयोग होने की सम्भावना भी बनी रहती है । 2. लोक निगम की प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यालय जन सम्पर्क में नहीं रहते हैं ,जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता और न ही जनता की प्रतिक्रिया इन्हें प्रत्यक्ष ढंग से प्राप्त हो पाती है अत: इन्हें प्रजातांत्रिक नहीं माना जा सकता है ।	1 1
26	1.कर्मचारी को वर्तमान पद से उच्च पद दिया जाता है । 2.कर्मचारी के उतरदायित्व में वृद्धि होती है ।	1 1

Downloaded from cclchapter.com

27	भर्ती एक व्यापक क्रिया है, जिसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों का संगठन , उनका चुनाव किया जाता है और उन्हें पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है । रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करना ही भर्ती हैं। भर्ती का अर्थ चयन नहीं है ,बल्कि ,चयन भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है ।	2
28	जब रिक्त पदों को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पदोन्नति के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं ।	2
29	**कार्य तथा उद्देश्य :-** यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित है । **प्रक्रिया :-** इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं ।	1 1
30	**संगठन :-** संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके ।	4
31	**नियुक्ति:**-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । **पदच्युति :-** नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की तरह दो आधारों **पर :- 1** प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अत: पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है ।	1 3
32	वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वित्तीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाढ़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अत: वित्तीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो ।	4
33	1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 3. यदि सरकार किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुचाएं या उसे छिनने का प्रयास का प्रयास करें तो नागरिक ऐसी मामले को सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं । 4. यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई झगड़ा उठे तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।	1 1 1 1
34	भारत में संसद द्वारा लोक निगम पर नियंत्रण रखने के लिए जिन तरीकों को व्यवहार में प्रयोग किया	

Downloaded from cclchapter.com

	जाता है वह इस प्रकार हैं :- 1. प्रश्न पूछ कर 2. निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग करके 3. निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके 4. निगम के पर प्रतिवेदनों में वाद विवाद करके 5. निगम के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है और जो संसद की स्वीकृति के बिना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता 6. किसी भी लोक निगमों से संबंधित मामलों पर प्रस्ताव पेश करके तथा उसे पर वाद विवाद करके 7. निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में वाद -विवाद करके ।	4
35	1**. संविधान की सर्वोच्चता** :- अन्य संघीय संविधानों की भांति भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है । भारत में कोई भी सरकार या संस्था अथवा व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है ।इसकी सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना शासन चलाएंगे । 2. **शक्तियों का विभाजन** :- अन्य संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियां में किया गया है । 3. **लिखित तथा कठोर संविधान** :- भारतीय संविधान में संघीय सरकार का अन्य लक्षण संविधान का लिखित तथा कठोर होना भी मौजूद है । 4 **दोहरी शासन प्रणाली** :- संघीय राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है । भारत में भी संघीय सरकार और प्रान्तों की सरकार दोनों ही संविधान की उपज होती हैं । 5. **द्विसदनीय विधानमंडल**:- संघीय शासन प्रणाली भारत में भी द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है ।	1 1 1 1
36	**भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ**:- (**1) युद्ध या बाहय आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' से उत्पन्न आपात- अनुच्छेद 352 के** अनुसार, यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपने द्वारा की गयी इस घोषणा को किसी भी समय वापस ले ले।परन्तु संकटकाल की इस घोषणा के समय अथवा उसके दो माह के अन्दर लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो वह संकटकाल नये सदन की बैठक के 30 दिन पश्चात् तक जारी रह सकता है, यदि राज्यसभा दो माह की निश्चित अवधि के अन्दर उसे स्वीकार कर चुकी हो। लोकसभा की बैठक के प्रारम्भ होने के 30 दिन पश्चात् संकटकाल उसी समय जारी रह सकता है, जबकि लोकसभा उसे स्वीकार कर ले (**2) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न आपात**- अनुच्छेद 356 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गयी हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। । संविधान में यह व्यवस्था थी कि संसद के द्वारा एक बार में 6 माह की अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। वर्तमान में विशेष व्यवस्था यह है कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आपातकाल को तभी जारी रखा जा सकता है जबकि चुनाव आयोग का उपर्युक्त परिस्थिति के विद्यमान होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाये। (**3) वित्तीय या आर्थिक आपात** – संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता या साख (Financial Stability or Credit) संकट में है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। **अथवा** राष्ट्रपति को निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं :- **राष्ट्रपति संसद का एक अंग है** :- भारतीय संसद राष्ट्रपति ,लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से मिलकर बनती है ।	6 6

Downloaded from cclchapter.com

	संसद का अधिवेशन बुलाने तथा स्थगित करना :-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक ही समय में या अलग-अलग समय में बुला सकता है और इसको बढ़ा एवं स्थगित कर सकता है । **संसद को संबोधित करना** :- संसद का पहला और वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही आरंभ होता है ,जिसमें वह सरकार की नीतियों और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है । **संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करना :-** राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य से मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला ,समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो । **लोकसभा को भंग करना** :- राष्ट्रपति लोकसभा को इसकी अवधि पूरी होने से पहले मंत्रिमंडल की सलाह से भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है । **विधेयकों पर स्वीकृति** :- संसद द्वारा पास किए गए विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो अपने स्वीकृति देने की बजाय उसे संसद से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ,लेकिन यदि संसद पुन: विचार करके उस विधेयक को मूल रूप से दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है । **कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति** :-संसद में कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किए जा सकते जैसे उदाहरण के लिए नए राज्यों का बनाने, राज्यों के नाम बदलने वाले विधेयक । **अध्यादेश जारी करना** :- अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । यह अध्यादेश कानून की तरह से लागू होते हैं । संसद के द्वारा स्वीकृत होने पर यह कानून का रूप ले लेता है।	
37	**पंचायती राज के दोषों को निम्नलिखित उपायों से दूर किया जा सकता है** - **शिक्षा का प्रसार :-**स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए लोगों का शिक्षित होना आवश्यक है ताकि वे अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग रहें । **सदस्यों का प्रशिक्षण**:-पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण की पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को ठीक तरह से करके उचित फैसला क्र सक । **ग्राम सभा को सक्रिय करना**:- पंचायती राज को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और गांव के नागरिकों को इसकी कार्रवाईयों में रुचि लेनी चाहिए । **सरकारी हस्तक्षेप में कमी** :- स्थानीय संस्थाएं तभी सफल हो सकती हैं जब सरकार इन संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता दे और इनके पद-प्रदर्शन की व्यवस्था करें । **धन की अधिक सहायता** :- सरकार इन संस्थाओं के लिए नई योजनाएं बनाएं और उनके लिए उचित मात्रा में धन दें । **नियमित चुनाव**: - पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव आयोग की देख-रेख में, नियमित रूप से होने चाहिए । **पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां देनी चाहिए** :- पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक दायित्व और शक्तियां मिलनी चाहिए । **पंचायती राज की संस्थाओं में सकारात्मक संबंध:-** साधारणतया पंचायती राज की तीनों स्तर की संस्थाओं के मध्य टकराव की भावना की बजाय अच्छे और मधुर संबंध होने चाहिए । आपस में सद्भावना होनी चाहिए **निपुण और ईमानदार कर्मचारी** :- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। **अथवा** **73वाँ संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं :-** 1. **पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता** :- 73 में संवैधानिक संशोधन के पास होने से पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी ।इस संशोधन के द्वारा नया भाग नई अनुसूची शामिल किया गया और भाग 9 में अंकित सभी अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में उन विषयों का वर्णन किया गया है जिनके संबंध में शक्तियाँ पंचायती को पंचायत को सौंप जा सकती हैं ।	6 6

Downloaded from cclchapter.com

	2. तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली :-अनुच्छेद 243 (ख) त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करता है प्रत्येक राज्य में निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है । **3. सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव** :-पंचायती राज की नई प्रणाली के अधीन पंचायत क्षेत्र को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा । **4. स्थानों का आरक्षण :-** नई पंचायती प्रणाली में विभिन्न पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है । **5. पंचायतों का कार्यकाल** :- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा । कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तिथि से आरंभ होगा । **6. पंचायत के कार्य** :-संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय रखे गए हैं, जिन पर पंचायत कानून बनाकर उन कार्यों को कर सकती है । **7. राज्य चुनाव आयोग** :-इस संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी । **8. वित् आयोग की स्थापना** :-इसमें यह की गई है कि इस संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य या राज्यपाल एक वित् आयोग कि नियुक्ति करेगा ।	
38	लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं :- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुचित मूल्यांकन** :- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन करते समय प्रशिक्षक को कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए । क्योकि संगठन में पाठ्यक्रम की मात्रा,प्रमाण-पत्रों की संख्या और प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है । **व्यवस्थापिका का असहयोग** :- प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थापिकाएं असहयोगात्मक रवैया अपनाती हैं या तो प्रारूप तैयार ही नहीं करती और अगर करती भी हैं तो वह काफी विलंब से । **उच्च स्तरीय प्रशासकों की उदासीनता**:- कुछ ऐसे उच्च स्तरीय प्रशासक हैं जो प्रशिक्षण की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते और इसे बेकार की चीज मानते हैं और वह संगठन में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी अपने मत का समर्थन करने के लिए दबाव डालेगा । **उचित समन्वय का अभाव** :- प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लोक सेवकों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के मध्य उचित समन्वय नहीं हो पाता । **कार्य भार की अधिकता** :- कर्मचारियों पर कार्य भार अधिक रहता है और उनके लिए प्रशिक्षण हेतु समय निकालना बहुत कठिन होता है । प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य को कोई अन्य कर्मचारी नहीं करता । **धन का अभाव** :- यह भी देखने में आया कि कई बार प्रशिक्षण कार्यों के संचालन के लिए सरकार के पास धन का अभाव होता है । जिससे प्रशिक्षण के वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं । **सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या:-** सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निश्चित करने की समस्या भी बड़ी विकट समस्या है । **अथवा** **औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण:-** औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है । इसमें वास्तविक रूप से तैयार किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम तथा व्याख्यान, संगोष्टियां, कार्यशालाएं ,सामूहिक चर्चाएं, सम्मेलन कार्य ,परियोजनाएं आदि भी सम्मिलित होती हैं । **अल्पकालीन और दीर्घकालिक प्रशिक्षण** :- प्रशिक्षण के ये दो प्रकार, प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर विभाजित हैं । प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु , सेवा के स्वरूप और सरकार की जरूरतों पर निर्भर करती है ।अगर पाठ्यक्रम कुछ सप्ताह अथव महीने का है तो इसे कई महीने, वर्ष तक	6 6

Downloaded from cclchapter.com

	चलने वाले दीर्घकालीन प्रशिक्षण की तुलना में अल्पकालिक प्रशिक्षण कहा जाएगा । **प्रवेश पूर्व और सेवाकालीन और प्रवेशोतर प्रशिक्षण** :-किसी कर्मचारी या अधिकारी को सेवा या नौकरी में पद ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए तो उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं प्रवेश से पूर्व के प्रशिक्षण में नई भर्ती किए गए कर्मचारियों को सेवाओं के लिए तैयार करना होता है ।प्रवेशोतर प्रशिक्षण सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण से कर्मचारी व्यावसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनता है। **केंद्रीय और विभागीय प्रशिक्षण** :-जब किसी विशिष्ट विभाग द्वारा अपने निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर , अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ,तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है । इसका मुख्य केंद्र बिंदु विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है, लेकिन कई बार केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसे केंद्रीय प्रशिक्षण कहा जाता है। **कार्य कुशलता एवं पृष्ठभूमि प्रशिक्षण** :-पृष्ठभूमि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिकता और ज्ञान को व्यापक बनाना तथा कर्मचारियों को देश की सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान किया जाता है ,किन्तु जब इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य में कर्मचारियों को की दशा सुधारना होता है, तो इसे कार्यकुशलता प्रशिक्षण कहा जाता है,जिसमें विशेष कुशलता, तकनीकों आदि का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है । **अधिविन्यास प्रशिक्षण:-** इसमें नए प्रवेशियों को अपने संगठन के कार्यों , उसकी पद्धतियों , नियमों के बारे में जानना चाहिए । इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपने संगठन और उसकी कार्य पद्धतियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।	

Downloaded from cclchapter.com